19/A

राजस्व लोक अदालत अभियान,
न्याय आपके के द्वार, 2017
न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

प्रकरण संख्या 11/12 तारीख रजू 25/06/2012

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री सतेन्द्र सिंह उर्फ सत्तू पुत्र भगवत सिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी वजीरपुर थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर । ––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 26/5/17

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री सतेन्द्र सिंह उर्फ सत्तू पुत्र भगवत सिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी वजीरपुर थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क्रम	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	फैसला
1	11/2000	16/01/2000	13 आरपीजीओ	25 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2	38/2000	14/03/2000	13 आरपीजीओ	25 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
3	48/04	12/03/2004	13 आरपीजीओ	50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। गैरसायल शराब पीने व जुआ ,सट्टा के कार्य करने का आदि है। उक्त शक्स का कस्बे में काफी आंतक है तथा आये दिन जुआ,सट्टा खेलना आम बात है। चुंकि कस्बा में जाट समुदाय की काफी आबादी है, इसलिए इसके विरूद्व आम नागरिक की शिकायत करने तक की हिम्मत नहीं होती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

20/A

को उक्त गैर सायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट की धारा 2 के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 के तहत उसके विरूद्ध विविध कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असालतन उपस्थित आया। श्री सतेन्द्र सिंह उर्फ सत्तू पुत्र भगवत सिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी वजीरपुर थाना वजीरपुर द्वारा अभियोग पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य मे श्री धन्नू सिंह हाल सेवा निवृत एसआई के बयान करवाये ।

न्याय आपके द्वार के तहत सुलह समझोते की भावन से यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। सायल की और से अभियोजन अधिकारी उपस्थित एवं वकील गैरसालय उप0 सुलह समझौते के तहत उभय पक्ष को सुना गया।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल शराब पीने व जुआ ,सट्टा के कार्य करने का आदि है। उक्त शराब का कस्बे में काफी आंतक है तथा आये दिन जुआ,सट्टा खेलना आम बात है। चुंकि कस्बा में जाट समुदाय की काफी आबादी है, इसलिए इसके विरूद्ध आम नागरिक की शिकायत करने तक की हिम्मत नहीं होती है।अतः उक्त गैर सायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट की धारा 2 के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 के तहत उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

21/A

सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित किया हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व गैरसालय द्वार छः माह की अवधि अपराध कारित करने हुए नहीं पाया गया है ,साथ ही उक्त इस्तगासा पेश करने की मियाद छः माह है। सायल को इस्तगासा पेश अन्तिम अपराध करने के छः माह के भीतर–भीतर पेश करना आवश्यक था लेकिन सायल द्वारा उक्त इस्तगासा आठ साल पश्चात पेश किया है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसालय ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हु कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत धारा 3 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने के तुरन्त छह माह की अवधि में इस्तगासा पेश करना आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रामाराम बनाम राजस्थान राज्य में भी प्रत्यार्थी द्वारा निर्देशित कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ,नोटिस जारी करने के तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के भीतर की नहीं होने पर अपीलार्थी को गुण्डा नहीं माना है। इस प्रकार प्रकरण दर्ज होने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज होना नहीं पाये जाने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग –पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अभय कुमार गुप्ता)
सदस्य

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर